

15/02/21

~~आज के दिन~~
 कादीगण के लिए उपस्थित कादीगण के लिए
 द्वारा मार्गदर्शक पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
 किया गया है कि कादीगण कायदा के अन्तर्गत
 परिष्कार के लिए उपस्थित नहीं है जिसे
 सम्बन्ध में कादीगण के द्वारा कादीगण

No instruction
 Kanti
 21/02/21



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जारीशे शरिस्टे डफ द्वारा सुचित कर
दिया गया। इस : इस बाद केने
इस प्रश्न द्वारा शरिज फरमाया (अपे)
हस्तगत करण में वादीगण के वकील
द्वारा को इस प्रश्न किये जाते के करण
हस्तगत करण इसी स्वर पर शरिज
किया जाताने प्रत्येकी फिलाल कुमार देकर
दाखिल करवरे)



सहायक कमिश्नर
(SDO) सियांग